*भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. सतीश पूनिया के नेतृत्व में भाजपाइयों ने गुरुवार को भरतपुर जिला कलैक्ट्रेट के बाहर उग्र प्रदर्शन किया। भाजपाइयों के सामने पुलिस का भारी भरकम संख्याबल भी नाकाम हो गया। प्रदर्शन और सार्वजनिक संबोधन के बाद डॉ. सतीश पूनिया, सांसद रंजीता कोली, भजनलाल शर्मा आदि ने गिरफ्तारी भी दी। भाजपा के इस कार्यक्रम में करीब 5 हजार से ज्यादा भाजपाई इकट्ठे हुए थे।*

# 'अपराध एक मुकदमे दो क्यों?'

## पुलिस ने मुख्यमंत्री के काफिले को काले झंडे दिखाने पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों को शांतिभंग में गिरफ्तार कर लिया था

- **इसके बाद एक अन्य मुकदमा और दर्ज कर संगीन धाराएं लगा दीं, जबकि उनका कृत्य एक ही था।**

जयपुर, 16 मार्च। राजस्थान विश्वविद्यालय में लॉ कॉलेज छात्रसंघ कार्यालय के उद्घाटन के बाद मुख्यमंत्री के काफिले के आगे आकर काले झंडे दिखाने के मामले में गांधी नगर थाना पुलिस ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ए.बी.वी.पी.) के 6 छात्रों को शांतिभंग के आरोप में गत मंगलवार को गिरफ्तारी के बाद अन्य संगीन धाराओं में भी मुकदमा दर्ज किया है।

इस मामले में छात्रों के अधिवक्ता आयुष मल का कहना है कि, जब मामला एक है तो पुलिस ने इसमें दो मुकदमे क्यों दर्ज किए हैं। पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि गुलशन मीणा, देव पलसानिया, महेश मीणा, विष्णु कुमार मीणा, प्रमोद मीणा और पीयूष चौधरी का कृत्य धारा 151 सीआरपीसी के उल्लंघन के तहत गिरफ्तार किया गया। बाद में पुलिस ने अपने स्तर पर 151 में जमानत लेकर फिर मौके से ही उन्हें अन्य मुकदमें में धारा 147, 332, 353 व 188 में गिरफ्तार कर लिया। पीड़ितों के अधिवक्ता का कहना है कि पुलिस ने कानूनी प्रक्रिया का गलत उपयोग करते हुए एक अपराध के लिए दो अलग-अलग मुकदमे दर्ज किए हैं, जो कि गलत है। पुलिस दबाव में आकर छात्रों के खिलाफ गलत तरीके से कार्रवाई कर रही है, जिससे उन्हें रिहाई न मिल सके। गौरतलब है कि ए.बी.वी.पी. की ओर से गत 14 मार्च को विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया गया था। उधर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय मंत्री होशियार मीणा ने बताया कि, पुलिस ने कार्यकर्ताओं को लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन करने के जुर्म में संगीन धाराएं लगाकर गिरफ्तार कर लिया। आज सभी कार्यकर्ताओं ने सैकड़ों की संख्या में गांधीनगर थाने का घेराव किया। इस दौरान पुलिस को चेतावनी दी कि जल्द से जल्द कार्यकर्ताओं को रिहा किया जाए वरना पूरे राजस्थान में कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। उन्होंने गांधीनगर थाना पुलिस पर आरोप लगाया इस पूरे षडयंत्र में पुलिस प्रशासन की मिलीभगत है और वह सरकार के दबाव में आकर काम कर रहे हैं और पढ़ने लिखने वाले छात्रों को बेवजह परेशान कर रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान डीसीपी ने आकर आश्वासन दिया कि न्याय प्रक्रिया बिना किसी दबाव में की जाएगी और इसकी जांच कमेटी बदल दी जाएगी। इस आश्वासन पर छात्रों ने आंदोलन को रोका। हालांकि चेतावनी दी कि छात्रों को जल्द से जल्द छोड़ा जाए और उन पर एफआईआर में लगी धाराएं हटाई जाए।

# 'कांग्रेस ने पेपर लीक किए, प्रदेश की जनता ने तय कर लिया है, कांग्रेस को परमानैंट वीक कर देंगे, डिलीट कर देंगे'

## भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने भरतपुर में कलैक्ट्रेट के घेराव के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा

- **भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के नेतृत्व में भाजपाईयों ने जिला कलैक्ट्रेट का घेराव कर सैंकड़ों की संख्या में गिरफ्तारियां दीं।**
- **जनआक्रोश एवं हल्लाबोल कार्यक्रम में करीब 5 हजार से अधिक संख्या में आमजन पहुंचा।**

भरतपुर, 16 मार्च (निसं)। भरतपुर में भाजपा ने प्रदेश अध्यक्ष डॉ. सतीश पूनिया के नेतृत्व में जन आक्रोश एवं हल्ला बोल प्रदर्शन का आयोजन किया गया। जनसभा को सम्बोधित करने के बाद भाजपा के नेताओं ने प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया की अगुवाई में जिला कलेक्ट्रेट के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। हालांकि, भाजपाइयों को रोकने के लिए पहले से ही भारी संख्या में पुलिस के जवान और अधिकारी जिला कलेक्ट्रेट पर तैनात थे। लेकिन भाजपाइयों की संख्या बल के आगे पुलिस के जवान पीछे हटते नजर आए।

पुलिस की ओर से भाजपाइयों को रोकने के लिए जिला कलेक्ट्रेट के समक्ष तीन स्तरीय बैरिकेडिंग लगाई गई थी। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के नेतृत्व में सांसद रंजीता कोली, पूर्व मंत्री जवाहर सिंह बेढम, पूर्व जिला अध्यक्ष गिरधारी तिवारी ने जैसे ही बैरिकेडिंग्स के ऊपर चढकर आगे बढना शुरू किया। भाजपा पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता ने और उग्रता और जोश दिखाते हुये बैरिकेडिंग्स के ऊपर से होकर जिला कलेक्ट्रेट के मुख्य दरवाजे पर पहुंच गए। इसके बाद अध्यक्ष सतीश पूनिया, सांसद रंजीता कोली, जिला अध्यक्ष ऋशि बंसल, हंसिका सिंह आदि के नेतृत्व में जिला भाजपाइयों ने कलेक्ट्रेट के अंदर घुसने का प्रयास किया। हालांकि, भाजपाई लोहे का बड़ा गेट होने और अंदर पुलिस के भारी संख्या में जवान होने से प्रवेश नहीं कर पाए। जिसके बाद सतीश पूनिया, सांसद रंजीता कोली, जिला अध्यक्ष ऋशि बंसल, हंसिका सिंह आदि के नेतृत्व में भाजपाईयों ने गिरफ्तारी दी।

इससे पूर्व जन सभा को संबोधित करते हुए प्रदेष अध्यक्ष सतीश पूनिया ने बताया कि पूरे प्रदेश में भाजपा के द्वारा कांग्रेस सरकार की नीतियों और जनता से की गई वादाखिलाफी, कानून व्यवस्था, बेरोजगारी सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर जन आक्रोष एवं हल्ला बोल कार्यक्रम का आयोजन होना है। उसकी शुरूआत भरतपुर से की गई है।

पूनिया ने कहा कि, पेपर लीक सहित हर मोर्चे पर गहलोत सरकार नाकाम है, नौजवान सरकार के खिलाफ गुस्से से भरे हुये हैं। उन्होंने 6 बसपा विधायकों को तोड़कर कांग्रेस में मिलाने के संदर्भ में कहा कि गहलोत जादूगर हैं वे छः -छः हाथियों को खा गये।

भरतपुर में भाजपा के प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर जिला मुख्यालय पर किए गए महाप्रदर्शन के कार्यक्रम में भाजपा के पूर्व विधायक विजय बंसल का ना आना भाजपा की गुटबाजी का संदेश दे रहा है। भले ही भाजपा के पदाधिकारी कहें कि पार्टी में किसी प्रकार की गुटबाजी नहीं है। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के समर्थक नेता भाजपा के कार्यक्रमों से दूरी बनाते दिखाई दे रहे हैं।

भरतपुर में जन आक्रोश महासभा में प्रदेश महामंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष एवं संभाग प्रभारी मुकेश दाधीच, प्रदेश उपाध्यक्ष माधोराम चौधरी, प्रदेश मंत्री जितेंद्र गोठवाल, एसटी मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र मीणा, प्रदेश कोषाध्यक्ष पंकज गुप्ता, भरतपुर जिला अध्यक्ष ऋषि बंसल,जिला प्रमुख जगत सिंह, पूर्व जिला अध्यक्ष शैलेश सिंह,सांसद रंजीता कोली, प्रदेश मंत्री महेंद्र जाटव, पूर्व सांसद रामस्वरूप कोली, बहादुर सिंह कोली, पूर्व विधायक अनीता गुर्जर, पूर्व विधायक अतर सिंह बढ़ ाना, पूर्व विधायक बनवारी सिंघल, किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष हरिराम रणवा, पूर्व मंत्री कृष्णेन्द्र कौर दीपा, पूर्व विधायक सुखराम कोली, जवाहर बेडम, पूर्व जिला प्रमुख द्वारका गोयल, किसान मोर्चा प्रदेश प्रवक्ता नेम सिंह फौजदार, जयपुर शहर अध्यक्ष राघव शर्मा, जयपुर देहात उत्तर जिला अध्यक्ष जितेंद्र शर्मा, जयपुर देहात दक्षिण जिला अध्यक्ष रामानंद गुर्जर, जालौर जिला अध्यक्ष श्रवण सिंह राव, नदबई उप प्रधान भूपेंद्र फौजदार, उदयसिंह, गोविंद चौधरी इत्यादि उपस्थित रहे।

# ए.सी.बी. ने दिव्या मित्तल घूस कांड में चालान पेश किया

- **ए.सी.बी. ने एस.ओ.जी. की एडिशनल एस.पी. के खिलाफ कोर्ट में 11,500 पन्नों की चार्जशीट पेश की।**
- **इस मामले में एक फरार कांस्टेबल, सुमित की भी तलाशी की जा रही है।**
- **ए.सी.बी. की जयपुर टीम ने 2 करोड़ रू. की रिश्वत मांगने के आरोप में 16 जनवरी को दिव्या मित्तल को अजमेर से पकड़ा था।**

अजमेर, 16 मार्च (कासं)। जयपुर ए.सी.बी. (एंटी करप्शन ब्यूरो) ने 60 वें दिन गुरुवार को स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एस.ओ.जी.) की एडिशनल एसपी दिव्या मित्तल घूसखोरी प्रकरण में चालान पेश कर दिया है। ए.सी.बी. ने 11 हजार 500 पन्नों की चार्जशीट पेश की और ए.सी.बी. कोर्ट शुक्रवार को इसकी जांच करेगा इधर इस मामले में फरार एवं बर्खास्त कॉन्स्टेबल सुमित की ए.सी.बी. सरगर्मी से तलाश कर रही है। एसीबी के वकील सतनारायण चितारा ने बताया कि जयपुर ए.सी.बी. के डीएसपी मांगीलाल चौधरी ने चालान सौंपा, इसके बाद ए.सी.बी. कोर्ट में चालान पेश कर दिया गया है।

एडवोकेट चितारा ने बताया कि एसीबी प्रकरणों में न्यायिक अभिरक्षा के दौरान चालान पेश करने के लिए 60 दिनों की अवधि निर्धारित है, एसीपी दिव्या मित्तल घूसखोरी प्रकरण में आखिरी दिन चालान पेश किया गया।

2 करोड़ की रिश्वत मांगने के मामले में जयपुर टीम ने अजमेर में 16 जनवरी को एसपी दिव्या मित्तल को पकड़ा। दिव्या मित्तल को ए.सी.बी. की टीम अजमेर से जयपुर लाई थी। माना जा रहा है कि एस.ओ.जी. के किसी अधिकारी का रिश्वत में इतनी बड़ी रकम मांगने का यह पहला मामला है। इतनी बड़ी अधिकारी को ट्रैप करना भी आसान नहीं था। दिव्या ने मादक पदार्थ तस्करी के मामले में हरिद्वार की फार्मा कंपनी के मालिक को गिरफ्तार नहीं करने की एवज में बर्खास्त पुलिसकर्मी सुमित कुमार के माध्यम से यह घूस मांगी थी।

## 'मैंने लोकसभाध्यक्ष से सदन...

**( प्रथम पृष्ठ का शेष )**

क्यों, और उस चर्चा के बाद, स्टेट बैंक ने मि. अडानी को करीब एक अरब डॉलर देने का वचन दे दिया। श्रीलंका में क्या कहा गया? एक व्यक्ति ने यह बयान क्यों दिया- मि. राजपक्षे ने उससे कहा है कि मि. अडानी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया है और ऐसा के लिये मूलरुप से मि. मोदी ने उनसे कहा था, ऐसा ही बांग्लादेश में हुआ।''

सबकी नजरें स्पीकर पर लगी हुई हैं कि वे राहुल को बोलने का अवसर देते हैं या.....।

## 'जब से मैंने मोदी-अडानी...

**( प्रथम पृष्ठ का शेष )**

आज इन पर प्रहार करने के लिए विधि मंत्री किरण रिजिजू को आगे किया। इसके कुछ ही घंटों बार राहुल ने कहा कि यदि भारत में लोकतंत्र भली भांति चल रहा है तो आज मैं लोकसभा में अपनी बात कह पाता, लेकिन सदन को कुछ ही मिनटों में स्थगित कर दिया गया।

गांधी ने कहा कि वे संसद में उन्हें कल बोलने का मौका दिए जाने की प्रतीक्षा करेंगे, लेकिन सबसे पहले वह एक सांसद के नाते जवाब देने के अपने अधिकार का उपयोग करना पसंद करेंगे।

गांधी ने कहा कि लंदन में उनके द्वारा की गईं टिप्पणियों को लेकर भाजपा का उनसे माफी मांगने की मांग करने का पूरा मुद्दा, उन प्रश्नों से ध्यान हटाने की कोशिश है जो उन्होंने प्रधानमंत्री व अडानी के संबंधों, भारत-इजराइल संबंधों में अडानी को दी गई सुविधा, प्रधानमंत्री, एस.बी.आई. चेयरमैन और अडानी के बीच ऑस्ट्रेलिया में हुई मीटिंग और भारत में अडानी को एयरपोर्ट्स के कई कॉन्ट्रैक्ट्स देने के लिए नियमों में की गई तोड़-मरोड़ को लेकर हाल ही संसद में उठाए थे।

गांधी ने कहा कि भाजपा का मुझ पर प्रहार कना उसी दिन से शुरु हो गया था, जिस दिन मैंने संसद में प्रश्न पूछे थे। वे प्रश्न आज भी ज्यों के त्यों हैं।

राहुल गांधी कल ही लंदन से लौटे और उन्होंने बजट सत्र में दूसरे भाग में आज पहली बार हिस्सा लिया। यह दूसरा भाग गत 13 मार्च से शुरु हुआ था।

बजट सत्र के बीच के अंतराल के बाद के चार दिन सत्तारूढ़ भाजपा द्वारा राहुल गांधी से माफी मांगने के चक्कर में बेकार गए।

इससे पहले, कांग्रेस ने दावा किया था कि भाजपा सरकार अडानी घोटाले की अनदेखी करने के लिए स्वयं ही संसद के दोनों सदनों में कामकाज ठप्प किए हुए हैं।

कांग्रेस प्रवक्ता एवं पार्टी की सोशल मीडिया सैल की चेयरपर्सन सुप्रिया श्रीनेत ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि ''क्या आपने कभी सोचा और सुना है कि सत्तारूढ़ पार्टी के सांसद संसद की कार्यवाही सिर्फ इसलिए ठप कर रहे हैं क्योंकि वो अडानी मुद्दे पर बहस नहीं चाहते और आप समझते हैं कि आप उन सवालों का उत्तर देने से बच जाएंगे जो उठाए जा रहे हैं?

उन्होंने सत्तारूढ़ पार्टी पर आरोप लगाया कि वह इस देश के लोगों को क्षेत्र, धर्म, जाति, नस्ल, रंग, भाषा और हर मुद्दे पर लड़ा रही है। उन्होंने जोर देकर कहा कि ''आप कर्नाटक और महाराष्ट्र को लड़ा रहे हैं और यही आपकी वास्तविक प्रकृति है और यही आपका वास्तविक चेहरा है, लेकिन मैं फिर से मूल प्रश्न पर जाना चाहूंगी कि सत्तारूढ़ पार्टी प्रश्न से क्यों डर रही है और यदि आप समझते हैं कि राहुल गांधी ने कुछ ग़लत कहा है तो चलिए संसद में बहस करते हैं।''

## ''माइग्रैंट लेबर'' पर तमिलनाडू...

**( प्रथम पृष्ठ का शेष )**

गिरफ्तार कर लिये गये हैं। ये चारों लोग इंडियन पैनल कोड (आई.पी.सी.) की धारा 294 (बी) (सार्वजनिक रूप से अश्लील शब्द बोलना तथा गाना) तथा धारा 323 (अपने स्तर पर चोट पहुँचाने वाला दण्ड देना) के तहत गिरफ्तार किये गये हैं।

प्रसंगवश बता दें कि ये गिरफ्तारियाँ उस समय हुईं, जब कोयम्बटूर में हुये इस हमले का वीडियो वायरल हुआ। प्रवासी मजदूरों ने भी 12 मार्च को ह ी वैरायटी हॉल रोड़ पुलिस थाने में अपने शिकायत दर्ज करा दी थी। इस शिकायत में उन्होंने कहा था कि मोटर साइकिलों पर सवाल चार लोगों ने उन पर हमला किया था।

पुलिस कमिश्नर बालकृष्णन ने मीडिया को बताया, ''हमने उन चारों लोगों को हिरासत में ले लिया है जिन्होंने प्रवासी (मजदूरों) पर हमला किया था तथा दो बाइक भी जब्त कर ली हैं। आगे तफ्तीश जारी है।'' पुलिस कमिश्नर ने बताया कि ये चारों लोग घटना के समय कथित रूप से शराब के नशे में थे। सामान्य गिरफ्तारी को एक खास रूप देने वाला तथ्य यह है कि इस हमले में हिन्दू मन्नानी ग्रुप, जो एक दक्षिणपंथी संगठन है, के सदस्यों की कथित लिप्तता है। बिहार के प्रवासी मजदूरों पर हुये कथित हमलों की नकली खबर वाले वीडियोज के वायरल किये जाने की पूर्ववर्ती घटना के मामले में भी, बिहार में पुलिस ने भाजपा से जुड़े कुछ ट्विटर हैंडल्स की थी तथा कुछ गिरफ्तारियाँ भी की थीं।

कोयम्बटूर की यह घटना तथा पुलिस के दावे के अनुसार, इस घटना में हिन्दू मुन्नानी की सदस्यों की कथित लिप्तता के चलते, प्रवासी मजदूरों से संबंधित राजनैतिक बहस और जोर पकड़ सकती है। वस्तुतः राज्य के शीर्ष भाजपा नेताओं ने उस समय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन की खिंचाई की थी, जब प्रवासी मजदूरों पर कथित हमलों के नकली समाचार वीडियोज वायरल हुये थे तथा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी सवाल पूछना शुरु कर दिया था।

किन्तु हिन्दू मुन्नानी ने एक बयान में दावा किया है कि गिरफ्तार हुये लोगों से ग्रुप का कोई संबंध नहीं है। द्रमुक ने भाजपा पर दोषारोपण करते हुये कहा है कि उसने सरकार को बदनाम करने तथा अपदस्थ करने की कोशिश के अन्तर्गत नकली वीडियोज सर्कुलेट किये थे तथा घबराहट एवं अफरातफरी फैलाने का काम किया था। डी.एम.के. प्रवक्ता ए. सर्वनन ने कहा कि ''हम सब जानते हैं कि भाजपा नेता और प्रवक्तागण नकली खबरें फैला रहे थे।''

भाजपा ने इस आरोप को सिरे से खारिज कर दिया है तथा भाजपा नेताओं ने ही डी.एम.के. पर उत्तर भारत के लोगों के प्रति विभाजनकारी राजनीति तथा शब्द जाल के काम लेने का आरोप लगाया हैं।

## 'गवर्नर...

**( प्रथम पृष्ठ का शेष )**

था। शिव सेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने गत वर्ष 30 जून को विश्वास मत लेने की बजाय इस्तीफा दे दिया था।

कपिल सिब्बल ने आरोप लगाया कि लोकतांत्रिक तरीके से निर्वाचित सरकार को राज्यपाल अस्थिर कर दिया था। सिब्बल ने बैंच के एक सवाल के जवाब में कहा कि जब विधानसभा चल रही थी तब निर्वाचित सरकार को हराने के लिए शिंदे गुट के पास संवैधानिक तरीके थे, वे बजट पर सरकार के खिलाफ वोट कर सरकार को हरा सकते थे और फिर सरकार बनाने का दावा कर सकते थे। उन्होंने आग्रह किया कि राज्यपाल ठाकरे को उस समय ''ट्रस्ट वोट'' लेने के लिए नहीं कह सकता।

## कविता...

**( प्रथम पृष्ठ का शेष )**

इन कागजात के बारे में पूछताछ करनी है। कविता ने अपने निर्णय से ई.डी. को अवगत कराने के लिये बी.आर.एस. महासचिव सोमा भारत कुमार को ई.डी. कार्यालय भेजा था। इस जांच एजेंसी ने दिल्ली शराब नीति केस से जुड़े एक मनी लॉन्डरिंग केस में आज पूछताछ करने के लिये कविता को तलब किया था, लेकिन कविता इससे पूर्व ही सर्वोच्च न्यायालय पहुँच गई तथा अदालत से अपनी याचिका की त्वरित सुनवाई का अनुरोध किया था तथा कहा था कि उन्हें, महिला होने के नाते, ई.डी. कार्यालय में तलब नहीं किया जा सकता तथा इसके बजाय, जांच एजेंसी के प्रतिनिधि उनके पास आ सकते हैं।

## क्या वरिष्ठ अधिवक्ता...

**( प्रथम पृष्ठ का शेष )**

लेखी, पुनीत बाली और सुप्रीम कोर्ट सैक्रेटरी जनरल की तरफ से उपस्थित हुई ए.एस.जी. माधवी दीवान सहित कई अधिवक्ताओं की दलीलें सुनीं।

गुरूवार को शीर्ष अदालत ने कहा कि इस वक्त वह केवल उस मुद्दे का समाधान करेगी जो वर्ष 2017 के निर्णय से सामने आया है। इस निर्णय ने अब तक के अनुभव के आधार पर पहले की गाइडलाइन्स को फिर से तय करने की स्वतंत्रता प्रदान की थी।

केन्द्र सरकार की ओर से उपस्थित सॉलीसिटर जनरल तुषार मेहता ने तब शीर्ष अदालत को बताया था कि वह भी अब तक के अनुभव के आधार पर एक आवेदन पेश करेंगे। शीर्ष अदालत को पहले बताया गया था कि अक्टूबर 2017 के निर्णय में कहा गया था कि तय की गई गाइड लाइन्स इस मुद्दे पर शायद विस्तृत ना हो तथा समयावधि में प्राप्त अनुभव के आधार पर इसमें उचित बाते जोड़ने या घटाने पर पुनर्विचार करना होगा।

सुप्रीम कोर्ट ने पिछले वर्ष यह अपने एक पूर्व निर्देश को संशोधित करते हुए कहा था कि वकीलों को सीनियर एडवोकेट्स के रूप में चयनित करने पर विचार करने के लिए 10 से 20 साल की प्रैक्टिस में प्रत्येक वर्ष एक अंक आवंटित किया जाए।

वर्ष 2017 में शीर्ष अदालत ने वकीलों को सीनियर्स के रूप में पदांकित करने को लेकर स्वयं के और हाईकोर्ट्स के लिए गाइड लाइन्स तय की थीं। एक गाइड लाइन के अनुसार वकील को 10 से 20 वर्ष के पेशे के अनुभव के आधार पर 10 अंक दिए जाएं।

फैसला, जिसमें कुछ गाइड लाइन्स दी गई थी, में कहा गया था कि हाईकोर्टी और सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट्स के चयन में संबंधित सभी मसलो का निस्तारण ''कमेटी फोर डैज़िग्नेशन ऑफ सीनियर एडवोकेट्स'' नामक एक स्थायी कमेटी करेगी।

इसमें कहा गया था कि पैनल की अध्यक्षता चीफ जस्टिस करेंगे और इसमें सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट्स के दो सीनियर मोस्ट जज भी होंगे। हाईकोर्ट की बात की जा तो किसी राज्य का अटार्नी जनरल पर एडवोकेट जनरल।

बार के प्रतिनिधित्व के बारे में कहा गया था कि स्थायी कमेटी के चार सदस्य बार के एक अन्य सदस्य को स्थायी कमेटी के पांचवें सदस्य के रूप में मनोनीत करेंगे।

## कर्नाटक में...

**( प्रथम पृष्ठ का शेष )**

सबसे दिग्गज नेता तथा पूर्व मुख्यमंत्री बी.एस. येद्दियुरप्पा को मजबूरन वह जनसभा रद्द करनी पड़ी, जिसे वे गुरुवार को चिकमंगलूर में सम्बोधित करने वाले थे। भाजपा के कार्यकर्ता स्थानीय विधायक के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे तथा उन्होंने पार्टी की संकल्प यात्रा में भी अडंगा डाला। यह सब इस बात का संकेत था कि जैसे-जैसे चुनाव प्रचार गति पकड़ेगा पार्टी को नुकसान उसके अन्दर के लोग ही पहुँचायेंगे।

पार्टी में एक ऐसा वर्ग तो पहले से ही मौजूद है, जो ''परिवारवाद'' के खिलाफ है। यह बात उस समय सामने आई, जब आगामी चुनाव के लिये बी.एस. येदियुरप्पा के बेटे नामांकन का तथा उनकी उम्मीदवारी की बात आई। उनकी उम्मीदवारी पार्टी के एक वर्ग के लिये मूल कलह का विषय बन गई है तथा यह वर्ग अपने बेटे की उम्मीदवारी के मामले में, येदियुरप्पा के झुकाव या पक्षपात पर सवाल खड़े कर रहा है।

भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव सी.टी. रवि उन स्थानीय भाजपा नेताओं के साथ बताये जाते हैं जिन्होंने येदियुरप्पा की इस घोषणा पर आपत्ति की है कि उनके बेटे बी.वाई. विजयेन्द्र शिकारीपुरा से चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा, ''यह निर्णय दिल्ली में पार्टी के संसदीय बोर्ड द्वारा किया जाना है।'' विजयेन्द्र की उम्मीदवारी के मुद्दे पर रवि ने कहा कि टिकट किसको मिलेगा, इसका निर्णय प्रत्याशी की जीत की संभावना पर निर्भर करेगा। भाजपा नेता ने कहा, ''आपने विजयेन्द्र के बारे में सवाल उठाया है। उन्हें टिकट मिलेगा या नहीं – इस बात का निर्णय (भाजपा का) संसदीय बोर्ड करेगा। यह निर्णय रसोईघर में नहीं होगा। टिकट किसे मिलेगा, किसे नहीं – इसका निर्णय जीत की संभावना के आधार पर होगा तथा यह संभावना, सर्वे पर आधारित होगी। और यह सर्वे किसी परिवार विशेष में बैठकर नहीं होगा।''

# 'वीरांगना मंजू जाट देवर के नाते नहीं गई, वीरांगना सुंदरी देवी नाते गई है!'

## संसदीय कार्यमंत्री शांति धारीवाल के अजीबो-गरीब स्पष्टीकरण पर भाजपा विधायकों ने पुनः भारी हंगामा किया, व सदन से ''वॉक आउट'' किया

- **कांग्रेस विधायक दिव्या मदेरणा ने कहा कि, जिस तरह वीरांगना मंजू जाट हमारा गौरव है, उसी तरह वीरांगना सुंदरी देवी भी राजस्थान का गौरव है।**
- **उपनेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ ने धारीवाल पर वीरांगनाओं के अपमान का आरोप लगाते हुए कहा कि, इसे पूरा राजस्थान लाइव देख रहा है।**

जयपुर, 16 मार्च (वि.सं.)। पुलवामा शहीद रोहिताश लांबा की वीरांगना मंजू जाट के देवर के नाते जाने के बयान से संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने विधानसभा में आज स्पष्टीकरण दिया और कहा, ''मैंने कभी नहीं कहा कि मंजू जाट देवर के नाते गई, वीरांगना सुंदरी देवी नाते गई।'' गुरूवार को बहस शुरू होने से पहले उन्होंने सफाई दी तो भाजपा विधायकों ने सदन में जोरदार हंगामा कर सदन से ''वॉक आऊट'' किया। इसी बीच धारीवाल ने जोर-जोर से कहा, ''सुंदरी देवी नाते गई है, सुंदरी नाते गई कि नहीं?'' इस पर भाजपा ने कड़ी आपत्ति की।

कांग्रेस विधायक दिव्या मदेरणा ने कहा है कि ''धारीवाल आज भले सफाई दें, लेकिन उस दिन वह वीरांगना मंजू जाट का चरित्र हनन कर रहे थे। आज उन्होंने सफाई के नाम पर वीरांगना सुंदरी देवी के साथ भी वही किया। मैंने वीडियो सुना है, मंत्री गलत थे। बैकफुट पर आए, इसलिए आज उन्होंने वापस बयान दिया है। सुंदरी देवी के बारे में आज कहा गया कि वह नाते गई कि नहीं, इसका क्या तुक है ? जिस तरह वीरांगना मंजू जाट हमारा गौरव है, उसी तरह वीरांगना सुंदरी देवी भी राजस्थान का गौरव है। आज स्पष्टीकरण देने की क्यों जरूरत पड़ गई?''

इधर दिव्या मदेरणा के सदन में दिए गए बयानों को लेकर मंत्री प्रतापसिंह खाचरियावास भी उनके समर्थन में उतर आए हैं। खाचरियावास ने कहा है कि ''कोई भी विधायक सदन में कोई बात कहता है, किसी मंत्री के लिए कहता है,सरकार की बात करता है,तो उसमें मुख्यमंत्री या मंत्री को नाराज होने की जरूरत नहीं है।''

संसदीय कार्य मंत्री ने वीरांगनाओं पर सफाई देने के लिए समय मांगा। धारीवाल ने कहा, ''मैं अपना स्पष्टीकरण देना चाहता हूं। आप विधानसभा की वीडियो रिकॉर्डिंग देख लीजिए। मैंने मंजू जाट के बारे में एक शब्द नहीं बोला कि वह नाते गई हैं, सिवाय इसके कि उसका देवर पहले से शादीशुदा है। यह तो सच है। मैंने कभी नहीं कहा कि वीरांगना मंजू जाट अपने देवर के नाते चली गई। मैंने यह कहा था कि मंजू जाट का देवर पहले से शादीशुदा है, जिसके लिए वह नौकरी मांग रही है, जबकि मंजू के बच्चों को नौकरी मिलनी चाहिए, मैंने यह कहा था। मैंने सुंदरी देवी के लिए कहा कि वह नाते चली गई। उसने खुद एक इंटरव्यू में कहा था कि उसे देवर विक्रम सिंह के नाते गए हुए तीन साल हो गए। दो बच्चियां पहले से हैं और देवर विक्रम से भी एक लड़का और एक लड़की हो चुके हैं। मेरे बयान के बारे में जो भ्रम फैलाया जा रहा है, वह सरासर गलत है।

उनके स्पष्टीकरण के बाद उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा, ''हमने मंत्री की सफाई को सुना है, अब ये वीरांगना सुंदरी देवी की बात लेकर आए हैं। हम इस सदन में व्यक्तिगत जीवन पर चर्चा करने के लिए नहीं बैठे हैं। राजस्थान में सबसे ज्यादा रेप हो रहे थे, प्रदेश कलंकित हो रहा था और आपने इसे मर्दों का प्रदेश बताया। आप यहां कितनी सफाई दे दीजिए राजस्थान की वीरांगनाओं का आपने अपमान किया है। अब सफाई देने से कुछ नहीं होगा।''

राठौड़ ने कहा, ''यह साधारण बात नहीं है। मंत्री ने वीरांगनाओं का अपमान किया। पूरा राजस्थान इसको लाइव देख रहा है। मंत्री किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं।''

इस बीच मंत्री शांति धारीवाल की ओर से सदन में दिए गए स्पष्टीकरण के बाद दिव्या मदेरणा ने कहा कि ''बोलकर पलट जाना धारीवाल की आदत है। पहले रेप को लेकर मर्दों के प्रदेश का बयान दिया और अगले दिन कहा कि स्लिप ऑफ टंग हो गया, मैं तो मर्ज कह रहा था। राजस्थान में हाईकमान को चुनौती दी। पैरेलल सीएलपी की मीटिंग की, विधायकों से इस्तीफे दिलवाए। बाद में उन इस्तीफों को वापस लेना पड़ा। मैं आज भी वीरांगनाओं पर उनके बयान की निंदा करती हूं।

इस बीच जब दिव्या मदेरणा के बयानों को लेकर मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास से बात की गई, तो उन्होंने कहा कि दिव्या मदेरणा युवा नेता है और वह मारवाड़ ही नहीं, पूरे प्रदेश में एक अच्छी वक्ता और युवा नेता के रूप में जानी जाती हैं और यदि उन्होंने विषय कोई उठाया है, तो उस पर बात होनी चाहिए। खाचरियावास ने कहा कि उनके क्षेत्र की सड़कें निरस्त करने का मामला है, तो मैं दिव्या मदेरणा से बात करूंगा।

राष्ट्रदूत (एच.यू.एफ.) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, सुधर्मा, एम.आई.रोड़, जयपुर एवं सुधर्मा-II, लालकोठी शॉपिंग सेंटर, टोंक रोड़, जयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादकः- राजेश शर्मा । आर.एन.आई. नं. 3641/57, ई-मेल-rastrdut@gmail.com कोटा कार्यालयः-पलायथा हाउस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन:2386031, 2386032, फैक्स:0744-2386033 बीकानेर कार्यालयः-कुंम्भाना हाउस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन:2200660, फैक्सः 0151-2527371 उदयपुर कार्यालयः-आयड, मेन रोड आयड, उदयपुर। फोनः 2413092, 2418945, फैक्सः 0294-2410146 अजमेर कार्यालयः-घूघरा घाटी, जयपुर रोड,अजमेर। फोनः 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोनः 226422, 226423, फैक्सः 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोनः 230200, 230400, फैक्सः 07469-230600 चूरू कार्यालयः एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोनः 256906, 256907, फैक्स:01562-256908